न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

पीठासीन पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या · 45/2019

निर्णय · 5-4-2021

सुरेश कुमार दत्तक पुत्र घड़सीराम उर्फ घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी साखूं तहसील राजगढ़ जिला चूरू

वादी

बनाम

1. बसन्ती देवी पत्नी घड़सीराम उर्फ घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी साखूं तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू
3. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा साखूं तहसील राजगढ़ जिला चूरू

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act

उपस्थित :-

1- श्री अनूप सुरोलिया अधिवक्ता वास्ते वादी
2. " मनोज सांगवान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1.
3. पेशकार राज वास्ते प्रतिवादी सं. 2.

निर्णय

वाद के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि वादी ने पहलाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act. मय दस्तावेज प्रस्तुत किया कि कृषिभूमि हाल ख० नं० 625 तादादी 3.2400 है० वाके रोही साखूं तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसका पूर्व में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादी का पिता व प्रतिवादीनी संख्या 1 का पति घड़सीराम रहा है। उक्त कृषि भूमि ही विवादित कृषि भूमि है। विवादित कृषिभूमि के खातेदार घड़सीराम की मृत्यु के बाद उसके जायज वारिसान उसका दत्तक पुत्र वादी व

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

पत्नी प्रतिवादीनी सं. 1 दोनों हुए लेकिन विरासतन नामान्तरकरण संख्या 722 ग्राम सांखू दिनांक 22.10.2018 दर्ज किया गया जिसमें अकेले वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया जिससे वादी को सख्त हक तल्फी हुई है। विवादित कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार बनते हैं व इसी अनुसार घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है जिसके लिए यह वाद घोषणात्मक पेश किया जा रहा है। आदि-आदि पेश कर खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रतिवादीगण को नियमानुसार तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से तुकबाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं.-3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहा इसलिए प्रतिवादी सं. 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। राजहित प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। उभय पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा व पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही निस्तारण का निवेदन किया गया। खण्डन के अभाव में विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा अपने वाद पत्र के अभिवचनों को दोहराते हुए वादी स्व. घनश्याम का एक पुत्र होना व वादग्रस्त विवादित कृषि भूमि में वादी प्रतिवादी सं. 1 के साथ ब हिस्सा बराबर का खातेदार होना कथन किया। वाद पत्र के अभिवचनों का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब स्वीकारोक्ति पेश किया गया है इसलिए वादी का यह वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी स्वीकार कर घोषित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि ख०न० 625 तादादी 3.2400 है० वाके रोही सांखू तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादी व प्रतिवादीनी संख्या एक ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5.4.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—7, जाब्ता दीवानी)

(Cvil Procedure Code, Appendix D-1)

अदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — राजगढ़ (चूरू)

इजलास — पंकज गढ़वाल R-A-S'

सुरेश कुमार — बनाम — बसन्तीदेवी

दावा बाबत — घोषणात्मक 88 R.T.Act

मुकदमा नम्बर — 45 — सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू — हमारे — व

हाजरी श्री अनूप दुबोलिया अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री मनोज सोनवाल अधिवक्ता

— मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

कृषि भूमि खसरा नं० 625 तादादी 3.24 हैक्ट. वाके रोही सांखू तहसील राजगढ़ जिला चूरू

में वादी व प्रतिवादीनी संख्या एक ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है

— मुबलिग —

या इस मुकदमें के मय सूद व शरह — बाबत —

तारीख से तारीख वसूलयाबी तक — फीसदी सालाना आज की

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 5 — माह — 4 — 2021 को

जारी की गई

दस्तखत [signature] उपखण्ड अधिकारी

ओहदस — राजगढ़ (चूरू)

	रूपया	पै०	मुदायलाह	रूपया	पै०
स्टाम्प अरजीदावा —			स्टाम्प वकीलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा —			अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत —					
महनताना वकील —			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान —			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर —			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा —			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक —			मुतफरिक		
मीजान —			मीजान —		

— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं खर्चा ...